The Uttar Pradesh Tax Bar Association (Regd.)

PRESIDENT
Arvind Kumar Gupta
Advocate
235, Sitaram, Azamgarh City
Mobile : 09415207624
adv_arvindgupta@rediffmail.com

GENERAL SECRETARY
Sourabh Singh Gahlaut
Advocate
19-D, Avas Vikas Colony, Mall Avenue, Lucknow
Mobile : 9415002138,7985036669
saurabhsingh_adv@rediffmail.com

20-09-2019

श्रद्धा में

चेयरमैन
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नार्थ ब्लाक दिल्ली

सन्दर्भः– **आयकर अधिनियम की धारा 139(1) में टैक्स आडिट के आयकर निर्धारितीयों द्वारा आयकर विवरणी प्रस्तुति में समय वृद्धि हेतु**

आयकर अधिनियम की धारा 234 F अर्थदण्ड के प्राविधानों में शिथिलीकरण के सम्बन्ध में कर निर्धारण वर्ष 2019–20 हेतु

आदरणीय महोदय

सर्वप्रथम अति समर्थता एवं सफलता पूर्वक इस गुरुतर दायित्व निर्वहन के लिए तथा आयकर जैसे जटिल विधान के सरल सुग्राहय बनाने, करदाता को विभागीय प्रक्रियात्मक समस्याओं से क्रमशः राहत देने और राजस्व संग्रह में वृद्धि हेतु आप के सतत सफल प्रयास हेतु हमारी संघ की ओर से साधुवाद शुभकामनाएं स्वीकार कीजिये।

दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन वर्ष 1961 से ही लगभग 50 वर्ष से भी अधिक अवधि से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के कर अधिवक्ताओं के मध्य कार्यरत संस्था है जिससें पूरें प्रदेश के लगभग 132 स्थानीय संगठन टैक्स बार एसोसिएशन सम्बद्व है और लगभग 26000 से भी अधिक अधिवक्ता बन्धु इसके सकिय सदस्य है।

हमारे प्रन्तीय संगठन द्वारा समय–समय पर प्रति दो माह के अन्तराल पर विचार गोष्ठी विधि चर्चा आयोजित कर सामायिक विषयों पर अद्यावधि विधिक विषयों पर श्रीमान को सुझाव आग्रह प्रेषित किया जाता रहता हैं।

सादर साग्रह विनम्रतापूर्वक अनुरोध हैं कि आयकर अधिनियम में सामान्य करदाता वेतन भोगी सम्पत्ति आय, पूंजीगत लाभे, व्यवसायियों (टैक्स आडिट हेतु दायी रहने वाले करदाताओं को अपने बही खाता को आडिट कराकर) हेतु आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु 30 सितम्बर 2019 के तिथि नियत हैं।

इस अवधि के अर्न्तगत विवरणी न प्रस्तुत करने की दशा में अधिनियम की धारा 234F के अर्न्तगत अर्थदण्ड की व्यवस्था हैं दण्ड की यह व्यवस्था विभिन्न संवर्ग के लिए 10000 तक हैं अर्थदण्ड की यह व्यवस्था देय आय पर देय ब्याज के अतिरिक्त हैं। इसके साथ ही उक्तानुसार आडिट के केस में टर्नोवर के आधार पर शास्ति दण्ड आरोपण का भी प्राविधान हैं।

अधो हस्ताक्षरी अपने प्रान्त उत्तर प्रदेश तथा सम्पूर्ण भारत के समस्त करदाताओं, व्यवसायियों व अपने प्रान्तीय संघ के समस्त सदस्यों की ओर से उक्त निर्धारित अवधि 30 सितम्बर 2019 को आगे 31 दिसम्बर 2019 तक करने तथा धारा 234F के दण्ड प्राविधान को संगत वर्ष हेतु शिथिल करने का आग्रह निम्न आधार पर कर रहा हैं–

(1) GST की व्यवस्था के कारण सड़ियल पोर्टल मरियल नेटवर्क धीमा रहने से काम मन्द गति से हो रहा हैं जिसका प्रभाव आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में भी हैं विवरण धीमे–धीमे अपलोड होता हैं।

(2) विभाग द्वारा CBDT के उच्चाधिकारियों द्वारा विगत अवधि तक आयकर विवरणी प्रारूप में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाते रहे हैं।

(3) संगत वर्ष 2019.20 में आयकर विधान व आयकर विवरणी टैक्स आडिट के प्रारूप स्वरूप में परिवर्तन संशोधन के कारण साफ्टवेयर में भी अनेकोबार परिवर्तन हुए जिससे नियमित रूप से त्वरित गति से कार्य होने में विलम्ब हो रहा हैं।

(4) विगत अवधि में श्रीमान शासन द्वारा टैक्स ऑडिट के अतिरिक्त विवरणी प्रस्तुत करने वाले करदाता की विवरणी प्रस्तुति का समय एक माह 31.07.2019 से बढ़ाकर 31.08.2019 कर दिया गया जिससे सभी पर कार्य बोझ अगस्त 2019 माह में बढ़ गया सभी लोग नान ऑडिट के विवरणी प्रस्तुति में व्यस्त रहे। परिणामतः ऑडिट वाले केस की विवरणी तैयार करने में पर्याप्त समयाभाव हो गया।

www.taxguru.in

(5) जी0एस0टी विधान के अनुसार वित्तीय वर्ष–2018–2019 के छुटे हुए बिल, आई0टी0सी0 की प्रविष्टि क्लेम डेबिट, केडिट नोट या किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2019 ही है लोग अपनी त्रुटियों में संशोधन कर रहे है इस कारण उक्ततिथि तक आडिट का कार्य पूर्ण हो पाना सम्मव नहीं लग रहा है।

(6) जी0एस0टी की व्यवस्था में विभिन्न विवरणी प्रस्तुत करने की व्यवस्था में व्यस्तता के कारण अधिवक्ता गण, IT TRP ,सी0ए, टैक्स प्रोफेसनल सभी अन्यान्य कार्यो में लगातार व्यस्त रहते हैं जिससे दोनों कार्य समयानुसार होने में भारी असुविधा हैं।

(7) विलम्ब से प्रारूप निर्धारित किए जाने के कारण बैंक व अन्य सस्थानों द्वारा प्रपत्र 16/16A विलम्ब से निर्धारिती को दिया गया तदनुसार 26AS काफी विलम्ब से Uptodate हो पाए हैं।

(8) जी0एस0टी0 लगने के बाद आडिट करने के लिए भी नई व्यवस्था व प्रारूप होने से कार्य समझने व इसे पूर्ण करने में समय व्यतीत हो रहा हैं व्यापारी व करने वाले सभी लोगों को समय का अभाव रह रहा हैं इससे समय से काम नही पूरा हो पाया हैं।

(9) छोटे पिछड़े जनपदों में नियमित बिजली व्यवस्था में अनुलब्धता के कारण सर्वर ठीक ढंग से नही कार्य कर पा रहा हैं जिससे 26AS डाउनलोड नहीं हो रहा हैं।

(10) यह कि प्रदेश में पिछले एक माह से अत्यधिक वर्षा के कारण जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया हैं जलजमाव एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई हैं इसलिए करदाताओं के लिए समय से विवरणी दाखिल करना अत्यंत कठिन हैं।

(11) यह कि जल जमाव एवं बाढ़ के कारण विधुत आपूर्ति एवं इंटरनेट पूरी तरह से प्रायः ठप चल रहा हैं। जिसके कारण विवरणी ऑनलाइन दाखिल करना संभव नही हो पा रहा हैं।

(12) प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे– प्रयागराज, अयोध्या, गोंड़ा, बाराबंकी, सीतापुर, गाजीपुर फर्रुखाबाद, बलिया, औरैया, बहराइच, पीलीभीत, बांदा, जालौन, फतेहपुर, कानपुर देहात, चित्रकूट व चंदौली, वाराणसी, वर्षा के कारण जल प्लावन की स्थिति हो गई हैं परिणामतः बिजली आपूर्ति, टेलीफोन नेट बुरी तरह बाधित हैं जिससे सुचारू ढंग से कार्य नही हो पा रहा हैं।

(13) यह कि माह की अन्तिम अवधि 26, 27, सितम्बर 2019 को बैंक कर्मियों की हड़ताल 28 सितम्बर 2019 को माह का चतुर्थ शनिवार 29 सितम्बर 2019 में रविवार रहने से बैंक बन्द रहेगें जिससे करदाता टैक्स नही जमा कर पायेगा।

(14) माननीय मोदी जी के प्रधानमन्त्री बनने से पूर्व इस देश में चर्तुदिक शिथिलता लापरवाही मनमाने पन का वातावरण रहा हैं सरकार की प्रत्येक ईकाई धीमी गाति से कार्य करती रही हैं यही आदत सामान्य जन व्यापारी प्रोफेसनल की भी लम्बी अवधि से बनी हुई थी कार्य में शिथिलता व अन्तिम दिनों में ही कार्य करने की प्रवृत्ति रही अब आप के कारण लोगो व प्रणाली में तेजी व जागरूकता आ रहीं हैं बढ़ भी रही हैं, कार्य में काफी तेजी होने के बाद भी शिथिलता रही हैं।

(15) माननीय मोदी जी के आने के बाद–जनता कुछ जागरूक हो रही हैं इसे धीरे–धीरे जागरूक होने में समय लग रहा हैं लेकिन समाज की सारंगी के तार पहले बहुत ढीले थे अब सामान्य हो रहे हैं इससे लोगों में स्वयं सुधारने का अवसर आवश्यक हैं।

(16) अर्थदण्ड राजस्व संग्रह का स्रोत नहीं होना चाहिए जनता को धीरे–धीरे सही मार्ग पर चलने की आदत लग रही हैं इसमें आप का सहयोग भी अपेक्षित हैं।

(17) अर्थदण्ड राजस्व संग्रह का स्रोत न बने अपवाद स्वरूप लगातार दोष विलम्ब रहने पर आरोपित हो। विलम्ब से विवरण प्रस्तुत होने देयकर जमा करते समय व्यापारी ब्याज दे रहा हैं जो स्वयं में एक दण्ड हैं।

आग्रह हैं हमारे अनुरोध पर सार्थकता के साथ विचार करते हुए विवरणी प्रस्तुति में समय बढ़ाने की कृपा की जाय।

व्यापारी करदाता लोग कृतार्थ होंगे

आभारों सहित

भवदीय

20-09/19

सौरभ सिंह (गहलौत)
प्रान्तीय महासचिव
लखनऊ

अरविन्द कुमार गुप्ता
प्रान्तीय अध्यक्ष
आजमगढ़

www.taxguru.in